केंद्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi
Website: www.kvsangathan.nic.in
Email: addl.com.admn@kvs.gov.in,
Tel: 011- 26855532
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली /18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi

Comp No.24294
फा.11-Adm1072(UTTR)/1/2024-Admn.I/2302-2321 दिनांक: 03.03.2026

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 03.10.2025 के कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 57 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि का हस्तांतरण एवं उपयुक्त अस्थाई भवन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिपत्य में कर दिया जाएगा। **केन्द्रीय विद्यालय बड़ेरा, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश, (संसदीय क्षेत्र– जालौन) अक्टूबर, 2025** में स्वीकृत 57 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का हस्तांतरण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में कर दिया है एवं विद्यालय संचालन हेतु उपयुक्त अस्थाई भवन उपलब्ध होने के उपरांत निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय शैक्षिक सत्र, 2026-27 से प्रारंभ करने के लिए संस्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	शैक्षिक सत्र 2026-27 से निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	**केन्द्रीय विद्यालय बड़ेरा, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश।**	**कृषि मंडी, काल्पी रोड, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश . पिन कोड–285001 .**

उपर्युक्त केंद्रीय विद्यालय प्रारम्भ में बालवाटिका I से III, कक्षा I से V तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होगा और इसके पश्चात साध्यता एवं अनुमोदन उपरांत कक्षाओं में वृद्धि होगी ।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, भूमि एवं अस्थाई भवन के अधिग्रहण से संबन्धित सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शैक्षिक सत्र, 2026-27 हेतु निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कर ली जाए ।

दीपेश

(दीपेश गहलोत)
अपर आयुक्त (प्रशा.)

वितरण:

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं. ।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं संयुक्त अध्यक्ष, के.वि. सं. ।
3. वरिष्ठ पी.पी.एस., सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमेन केविसं. ।
4. निजी सचिव, सचिव (शिक्षा) , स्कूल शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश ।

5. पी.एस.ओ, संयुक्त सचिव (संस्थान एवं प्रशिक्षण) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. ।
6. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ।
7. सचिव, सी.बी.एस.ई. के निजी सचिव, 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली – 92.
8. निजी सचिव, अपर आयुक्त (प्रशा./शैक्षिक) के.वि.सं. ।
9. निदेशक (के.वि.सं.), शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
10. संयुक्त आयुक्त (प्रशा./वित्/प्रशिक्षण/ कार्मिक), के.वि.सं. (मु.) को सूचनार्थ ।
11. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) के.वि.सं.(मु.) को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें ।
12. अधीक्षण अभियंता, के.वि.सं.(मु.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
13. जिलाधिकारी तथा अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, केन्द्रीय विद्यालय बड़ेरा, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश राज्य को सूचनार्थ ।
14. उपायुक्त, के.वि.सं. (क्षे.का.) आगरा को इस अनुरोध के साथ कि वे सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क कर केन्द्रीय विद्यालय संचालित करें ।
15. उपायुक्त/निदेशक, के.वि.सं., सभी सम्भागीय कार्यालय तथा आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ।
16. उपायुक्त (आई.टी.) को के.वि.सं. की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
17. सहायक आयुक्त (स्था-I/II /III) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
18. सभी अधिकारी/ अनुभाग, केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)।
19. अध्यक्ष/सचिव, के.वि.सं. की सभी मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ ।
20. गार्ड फाइल ।

केंद्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi
Website: www.kvsangathan.nic.in
Email: addl.com.admn@kvs.gov.in,
Tel: 011- 26855532

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली /18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi

Comp No. 24294
F.11-Adm1072(UTTR/1/2024/Admn.I/2302-2321 दिनांक: 03.03.2026

OFFICE ORDER.

Kendriya Vidyalaya Sangathan vide Office-Order dated 03.10.2025, conveyed the approval of Government of India, for establishing 57 new Kendriya Vidyalayas under Civil /Defence Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified demarcated land and also to give possession of the temporary accommodation to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. **Kendriya Vidyalaya Badera, Orai, District Jalaun, Uttar Pradesh** in **Parliamentary Constituency- Jalaun** is one of the 57 new Kendriya Vidyalayas sanctioned in October, 2025.

Since the land in the matter of this Kendriya Vidyalaya has been transferred by the Sponsoring Authority in favour of Kendriya Vidyalaya Sangathan and temporary accommodation has been found suitable, sanction is hereby conveyed to start a new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector with immediate effect from the session, 2026-27 at the following location:-

S. No.	Name of Kendriya Vidyalaya	Kendriya Vidyalaya will be made functional during Academic Year 2026-27 at:
1.	Kendriya Vidyalaya Badera, Orai, District Jalaun, Uttar Pradesh .	Krishi Mandi, Kalpi Road, Orai, District Jalaun, Uttar Pradesh. Pin Code-285001.

The above Kendriya Vidyalaya will start functioning from Balvatika I to III, class I to V (single section in each class) and thereafter will grow consequently based on feasibility as per approval.

The admission process may be completed according to the schedule of admission prescribed for the academic year, 2026-27 after completion of all pending formalities of taking-over of land and temporary accommodation.

Deepesh
(Deepesh Gehlot)
Additional Commissioner (Admn.)

Distribution: -

1. PS to Hon'ble SM-cum-Chairman, KVS.
2. PS to Hon'ble MoS (Education)-cum -Joint Chairman, KVS.
3. Sr. PPS to the Secretary (SE&L), MoE-cum-Deputy Chairman, KVS.
4. PS to Secretary (Education), Department of School Education, Uttar Pradesh.

5. PSO to Joint Secretary (Institutions & Trg.), MoE-cum-Vice Chairperson, KVS.
6. PS to Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
7. PS to Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92.
8. PS to Additional Commissioner (Admn/Acad), KVS.
9. The Director (KVS), MoE, Shastri Bhawan, New Delhi.
10. Joint Commissioner (Admn/Finance/Training/Pers), KVS.
11. Joint Commissioner (Acad), KVS Hqrs with the request to issue staff sanction order as per rule.
12. The Superintending Engineer, KVS Hqrs– for information & necessary action.
13. The District Magistrate & Chairman, VMC Kendriya Vidyalaya Badera, Orai, District Jalaun for information.
14. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Agra with the request to liaise with the sponsoring authorities to make the KV functional.
15. The Deputy Commissioner/Directors, KVS, All Regional Offices/ZIETs.
16. The Deputy Commissioner (IT), KVS with a request to upload the order on KVS website.
17. The Assistant Commissioner (Estt.I/Estt.II/Estt.III), for information & necessary action.
18. All Officers/Sections, KVS Hqrs.
19. President/ General Secretary, KVS recognized Staff Associations.
20. Guard File.